(92)

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)का अभिमत।

कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी–छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया–कुई, बैरख–नेवराटोला, कुई–महुली, चिल्फी–तरमा, तरमा–सहसपुर लोहारा, खाड़ी–दमोह, लाखाटोला–पालक, मोहगांव–बोटेसुर, दरई–पिपरखुटा, तरेगांव–बरहापानी, कुई–नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत् गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

Divisional Forest Officer
Kawardha Division

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,
मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)

Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.